फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

रामनिवास बनाम बस्तीराम इत्यादि किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट न. 146 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.09.2023	पत्रावली पेश हई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिस पर अपीलांट का काश्त है। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय में राजस्व दस्तावेजों से अपने केस को बखूबी साबित किया। विवादित भूमि अपीलांट की खरीदसुदा भूमि होने से प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में है। रेस्पोडेंट्स को अपीलार्थी की भूमि में बाधा उत्पन्न करने एवं दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। प्रत्यर्थी गण अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर लेते है तथा अपीलार्थी को बेदखल कर देते है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी हो संरक्षित रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को बखूबी साबित किया, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की इस्तदुआ को स्वीकार नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे एवं वाद के अंतिम निस्तारण तक रेस्पोडेंट्स को पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में न तो स्वयं दखलंदाजी करे तथा न ही किसी अन्य से करावे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे। अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा के दावे के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अप्रार्थीगणो को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझा है। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय विलेख दिनांक 23.05.2023 से यह साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 145 रकबा 05 बीघा ग्राम गुजरावास का पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्ड खातेदार है, किंतु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि रेस्पोडेंट्स द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि में दखलंदाजी की जा रही हो। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थीगण की तामील उपरांत अपीलांट के पास वही चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेशिका है, के विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट इस स्तर पर ही निर्णित की जाकर अपीलांट्स को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन के जरिये शीघ्रतिशीघ्र तामील करवाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

04.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर